NEXT IAS

# दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 07-11-2025

## विषय सूची


» कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति
» केंद्र ने कहा, मतदान का अधिकार मतदान की स्वतंत्रता से पृथक
» भारत की चुनाव प्रणाली: नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता क्यों है?
» भारत में न्यायालय की अवमानना
» वन अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए एक समान दंड


### संक्षिप्त समाचार


» नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG)
» गिरफ्तारी का लिखित आधार गिरफ्तार व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए: सर्वोच्च न्यायालय
» अब्राहम समझौते
» GPS स्पूफिंग
» भारत द्वारा अपनी प्रथम स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का अनावरण
» COP30 के लिए जलवायु अद्यतन की स्थिति
» कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को IUCN द्वारा "अच्छा" दर्जा प्रदान
» भारतीय नौसेना द्वारा INS इक्षक को नौसेना में सम्मिलित

## कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति

### संदर्भ

- कर्नाटक देश का प्रथम राज्य बन गया है जिसने सभी महिला कर्मचारियों (सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों) के लिए प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश (प्रति माह एक दिन) को स्वीकृति प्रदान की है।

### पक्ष में तर्क

- **लैंगिक-संवेदनशील कार्यस्थल को बढ़ावा:** महिलाओं की जैविक वास्तविकताओं को मान्यता देता है और कार्यस्थल में समावेशिता व सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है।
- **लैंगिक-तटस्थ नीतियों से आगे बढ़कर लैंगिक-उत्तरदायी श्रम सुधारों की ओर कदम।**
- **मासिक धर्म स्वास्थ्य की स्वीकृति:** खुली चर्चा को प्रोत्साहित करता है और मासिक धर्म स्वास्थ्य के कलंक को दूर करता है।
- **उत्पादकता और कल्याण में सुधार:** महिलाओं को दर्द या असुविधा के दौरान आराम करने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर प्रदर्शन और मनोबल मिलता है।
- **स्वास्थ्य और मानवाधिकार दृष्टिकोण:** महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार को बनाए रखता है।
- **कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाना:** विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए लाभकारी जो शारीरिक रूप से कठिन कार्य करती हैं या जिनके पास लचीली कार्य परिस्थितियाँ नहीं हैं।
- **वैश्विक सामंजस्य:** वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को दर्शाता है — जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ताइवान और स्पेन जैसे देशों में ऐसी नीतियाँ उपस्थित हैं।

### विपक्ष में तर्क

- **कार्यस्थल भेदभाव का जोखिम:** नियोक्ता महिलाओं को कम उत्पादक या अधिक खर्चीला मानकर उन्हें नियुक्त या पदोन्नत करने से संकोच कर सकते हैं।
- **लैंगिक पक्षपात को समाप्त करने के बजाय अनजाने में उसे सुदृढ़ कर सकता है।**
- **निजी क्षेत्र में क्रियान्वयन चुनौतियाँ:** विविध उद्योगों में अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है।
- **सीमित दायरा और असमानता:** प्रति माह एक दिन कई महिलाओं के लिए अपर्याप्त हो सकता है जो गंभीर मासिक धर्म विकारों का सामना कर सकती हैं।
- **राष्ट्रीय ढाँचे की कमी:** राज्यों और क्षेत्रों में नीतिगत असंगति उत्पन्न कर सकती है।
- **पीरियड शेमिंग:** ऐसे देश में जहाँ बड़ी संख्या में लोग मासिक धर्म को 'अशुद्ध' मानते हैं, यह कलंक को बढ़ा सकता है।
- **सामाजिक संवेदनशीलता के मुद्दे:** महिलाएँ अपनी स्वास्थ्य-संबंधी बातों को निजी रखना पसंद कर सकती हैं, और मासिक धर्म के लिए विशेष अवकाश श्रेणी शुरू करना व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है।

### आगे की राह

- महिलाएँ अपने कार्यस्थलों और नेतृत्व पदों में समानता के लिए संघर्ष कर रही हैं और मासिक धर्म अवकाश उनके विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है।
- मासिक धर्म अनुभवों की विविध प्रकृति को पहचानना आवश्यक है।
- कुछ लोग निश्चित अवकाश दिनों के बजाय लचीले कार्य घंटे, घर से कार्य करने के विकल्प, या कार्यस्थलों पर बेहतर मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं का समर्थन करते हैं।
- समर्थन को अनुकूलित करना और मामले-दर-मामले आधार पर सहानुभूतिपूर्ण होना समावेशिता को बढ़ावा देता है, साथ ही उन महिलाओं की व्यक्तिगत ज़रूरतों को भी संबोधित करता है जो कठिन मासिक धर्म चक्र से गुजर रही हैं।

**Source: TH**

## केंद्र ने कहा, मतदान का अधिकार मतदान की स्वतंत्रता से पृथक

### संदर्भ

- केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया है कि चुनाव में 'मतदान का अधिकार' और 'मतदान की स्वतंत्रता' अलग-अलग हैं।

- उसने कहा कि जहाँ मतदान का अधिकार मात्र एक वैधानिक अधिकार है, वहीं मतदान की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार — अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — का भाग है।

## परिचय

- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53(2) और चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 11 तथा प्रपत्र 21 और 21B को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

## संबंधित कानूनी प्रावधान

- **धारा 53(2), आरपीए 1951:** यदि वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या भरे जाने वाली सीटों के बराबर है, तो रिटर्निंग ऑफिसर (RO) बिना मतदान कराए उन्हें निर्वाचित घोषित करेगा।
- **प्रपत्र 21 और 21B:** RO द्वारा बिना मतदान कराए उम्मीदवारों को आधिकारिक रूप से निर्वाचित घोषित करने हेतु प्रयुक्त।
- **अनुच्छेद 19(1)(a):** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

## याचिकाकर्ताओं के तर्क

- **मतदाताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन:** बिना मतदान कराए उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने से नागरिकों को 'नोटा' (None of the Above) के माध्यम से असहमति व्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलता।
- **नोटा एक लोकतांत्रिक उपकरण:** नोटा मतदाताओं को सभी प्रत्याशियों से असंतोष दर्ज करने का अवसर देता है; मतदान का अवसर हटाने से यह अभिव्यक्ति सीमित हो जाती है।

## केंद्र का उत्तर

- PUCL बनाम भारत संघ (2003) के निर्णय का उदाहरण देते हुए केंद्र ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी उत्पन्न होती है जब मतदान होता है।
  - बिना मतदान के इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं है।
- अतः मतदान की स्वतंत्रता मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है।
- यदि चुनाव नहीं होता (जैसे निर्विरोध मामलों में), तो मतदाता मतदान या नोटा का दावा नहीं कर सकते।
- केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि नोटा, आरपीए 1951 की धारा 79(b) के अंतर्गत उम्मीदवार नहीं है। यह मात्र एक विकल्प या अभिव्यक्ति है, कोई प्रत्याशी नहीं।
- चुनाव अनिर्णीत नहीं रह सकते; विजेता घोषित करना निश्चितता सुनिश्चित करता है।

## महत्त्व

- **लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व:** यह चुनावी दक्षता और मतदाता स्वायत्तता के बीच संतुलन पर प्रश्न उठाता है।
- **संवैधानिक व्याख्या:** वैधानिक मतदान अधिकार और संवैधानिक अभिव्यक्ति के अधिकार की सीमा की परीक्षा करता है।
- **चुनावी सुधार बहस:** निर्विरोध सीटों की व्यवस्था और नोटा की कानूनी स्थिति पर भविष्य के सुधारों को प्रभावित कर सकता है।

## अधिकारों के प्रकार

- **प्राकृतिक अधिकार:** ये जन्मजात और अविच्छेद्य अधिकार हैं जो प्रकृति द्वारा व्यक्तियों को दिए जाते हैं।
  - जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राकृतिक अधिकार माना जाता है।
  - भारतीय न्यायालय यह तय कर सकते हैं कि कोई प्राकृतिक अधिकार मौलिक अधिकार में निहित है, पर वे सीधे किसी प्राकृतिक अधिकार को लागू नहीं करते।
  - उदाहरण: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार, गरिमा के साथ जीने के प्राकृतिक अधिकार का प्रतिबिंब है।
  - राज्य को ऐसे कानून बनाने से रोका गया है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करें।
- **संवैधानिक अधिकार:** ये संविधान में निहित हैं लेकिन भाग III के बाहर।
  - इनमें संपत्ति का अधिकार, मुक्त व्यापार, और बिना विधिक अधिकार के करारोपण न होना शामिल है।

- ये उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत या उन कानूनों की प्रक्रिया के अनुसार लागू किए जा सकते हैं जो इन्हें संचालित करते हैं।

- **वैधानिक या कानूनी अधिकार:** ये संसद या राज्य विधानमंडल के साधारण कानूनों द्वारा प्रदान और संशोधित किए जाते हैं।
  - उदाहरण: मनरेगा के अंतर्गत कार्य का अधिकार; वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के अधिकार; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सब्सिडी वाले खाद्यान्न का अधिकार।
  - ये उन कानूनों की प्रक्रिया के अनुसार लागू किए जाते हैं जो इन्हें प्रदान करते हैं।

### मतदान के अधिकार की स्थिति

- संविधान का अनुच्छेद 326 प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्रदान करता है।
- संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए कानून हैं: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RP Act, 1950) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act, 1951)।
- भारत में मतदान के अधिकार की कानूनी स्थिति विभिन्न मामलों में परिचर्चा का विषय रही है।
  - **एन.पी. पोनुस्वामी मामला (1952):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदान का अधिकार वैधानिक अधिकार है और उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है।
  - **PUCL मामला (2003):** न्यायमूर्ति पी.वी. रेड्डी ने कहा कि मतदान का अधिकार, यदि मौलिक अधिकार नहीं है, तो निश्चित रूप से 'संवैधानिक अधिकार' है।
  - **अनूप बरनवाल मामला (2023):** बहुमत की राय ने कुलदीप नायर मामले के निर्णय को दोहराया कि मतदान का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार है।
- अतः वर्तमान में मतदान के अधिकार की कानूनी स्थिति यह है कि यह एक वैधानिक अधिकार है।

**Source: TH**

## भारत की चुनाव प्रणाली: नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

### संदर्भ

- भारत की चुनावी प्रणाली में नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, जो समय के साथ अधिकाधिक बहिष्करणकारी, असुरक्षित और प्रक्रियात्मक दुरुपयोग के लिए जटिल होती जा रही है।

### भारत की चुनावी प्रणाली में नामांकन प्रक्रिया के बारे में

- नामांकन प्रक्रिया चुनावी भागीदारी का प्रवेश द्वार है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा निर्धारित विस्तृत प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें शामिल हैं:
  - **पात्रता मानदंड:** उम्मीदवारों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) के अनुसार आयु और मतदाता पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।
  - **नामांकन पत्र दाखिल करना:** उम्मीदवार लोकसभा के लिए प्रपत्र 2A या राज्य विधानसभाओं के लिए प्रपत्र 2B जमा करते हैं, साथ ही शपथपत्र जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारियाँ और शैक्षिक योग्यताएँ घोषित की जाती हैं।
  - **जाँच और वापसी:** नामांकन पत्रों की जाँच रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा की जाती है, और उम्मीदवार निर्दिष्ट समय सीमा तक नाम वापस ले सकते हैं।
  - **डिजिटल एकीकरण:** ENCORE पोर्टल नामांकन प्रपत्रों और शपथपत्रों की ऑनलाइन प्रस्तुति की अनुमति देता है, जिससे पारदर्शिता एवं पहुँच में वृद्धि होती है।
- उम्मीदवारों को पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना आवश्यक है।

### वर्तमान नामांकन प्रणाली में कमियाँ और चिंताएँ

- **प्रक्रियात्मक जटिलता बनाम वास्तविक न्याय:** RPA, 1951 के अंतर्गत योग्यताओं की जाँच की प्रक्रिया अत्यधिक प्रक्रियात्मक हो गई है।

- **RO की शक्तियाँ:** RPA, 1951 की धाराएँ 33–36 और चुनाव आचरण नियम, 1961 के अंतर्गत RO संक्षिप्त जाँच के बाद नामांकन को अमान्य घोषित कर सकता है।
  - अनुच्छेद 329(b) के कारण चुनाव के बाद तक RO पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जिससे तकनीकीताओं को निष्पक्षता पर वरीयता मिलती है।
- **प्रक्रियात्मक जाल:** उम्मीदवार प्रायः संवैधानिक अयोग्यता के स्थान पर कागजी त्रुटियों के कारण फँस जाते हैं। सामान्य जालों में शामिल हैं:
  - **शपथ जाल:** बहुत जल्दी, बहुत देर से, या गलत प्राधिकारी के समक्ष ली गई शपथ।
  - **कोषागार जाल:** सुरक्षा जमा की गलत भुगतान विधि या देर से जमा।
  - **नोटरीकरण जाल:** नोटरीकृत शपथपत्र (प्रपत्र 26) का अभाव।
  - **प्रमाणपत्र जाल:** विभिन्न विभागों से 'नो-ड्यूज' प्रमाणपत्र प्राप्त करने में देरी।
- **संवैधानिक बाधाएँ:** संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में चुनाव समाप्त होने तक न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।
  - इसका अर्थ है कि नामांकन की गलत अस्वीकृति को तुरंत रिट याचिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, और उम्मीदवारों को चुनाव के बाद चुनाव याचिका दायर करनी पड़ती है।
- **न्यायिक जटिलताएँ:** पारदर्शिता के उद्देश्य से न्यायिक हस्तक्षेप ने अयोग्यता के नए आधार जोड़ दिए हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय के 2013 *पुनरुत्थान भारत* निर्णय में कहा गया कि अधूरे शपथपत्र अमान्य हैं, लेकिन झूठे घोषणापत्र नहीं।
- **फ़िल्ट्रेशन दृष्टिकोण:** भारत का RO हैंडबुक चेकलिस्ट प्रणाली का प्रयास करता है, लेकिन इसका कोई कानूनी मूल्य नहीं है।
  - RO अब भी जाँच के समय पहले से 'त्रुटिरहित' नामांकन को अस्वीकार कर सकता है, जिससे मनमानी बढ़ती है और विश्वास घटता है।
- **हाशिए पर पड़े उम्मीदवारों पर असमान प्रभाव:** कानूनी साक्षरता की कमी, पेशेवर सहायता तक सीमित पहुँच, और प्रक्रियात्मक अस्वीकृति का भय भागीदारी को हतोत्साहित करता है।

## कौन से सुधार आवश्यक हैं?

- **निष्पक्षता बहाल करना:** रिटर्निंग ऑफिसरों (RO) को कानूनी रूप से बाध्य किया जाना चाहिए कि वे:
  - सटीक दोष और संबंधित प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए लिखित नोटिस जारी करें।
  - 48 घंटे का सुधार अवसर दें।
  - साक्ष्य और औचित्य का विवरण देते हुए कारणयुक्त अस्वीकृति आदेश प्रदान करें।
- **डिजिटल-बाय-डिफ़ॉल्ट ढाँचा अपनाना:** भारत निर्वाचन आयोग (ECI) नामांकन को सरल बनाने के लिए डिजिटल-बाय-डिफ़ॉल्ट ढाँचा बना सकता है:
  - मतदाता पहचान पत्र, आयु और निर्वाचन क्षेत्र का ऑनलाइन सत्यापन।
  - शपथ और शपथपत्रों की डिजिटल प्रस्तुति।
  - इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विकल्प (UPI, RTGS, कार्ड)।
  - नामांकन की प्रत्येक अवस्था को ट्रैक करने वाला सार्वजनिक डैशबोर्ड, जिसमें अस्वीकृति के कारण भी शामिल हों।
- **लोकतंत्र को सशक्त बनाना:** जब किसी नामांकन को अनुचित रूप से अस्वीकार किया जाता है, तो दो अधिकारों का उल्लंघन होता है — उम्मीदवार का चुनाव लड़ने का अधिकार और मतदाता का चुनने का अधिकार।
  - भारत को एक ऐसी नामांकन प्रणाली की आवश्यकता है जो नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और समावेशी हो, और प्रक्रिया को *कानून द्वारा शासन* से *लोकतंत्र का शासन* की ओर ले जाए — फ़िल्ट्रेशन से फ़ैसिलिटेशन की ओर।
- **सर्वोत्तम प्रथाएँ:** अन्य लोकतंत्र एक सहायक दृष्टिकोण अपनाते हैं:
  - UK में अधिकारी उम्मीदवारों को समय सीमा से पहले त्रुटियाँ सुधारने में सहायता करते हैं।

- कनाडा 48 घंटे की सुधार अवधि देता है।
- जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया लिखित नोटिस की आवश्यकता रखते हैं तथा अपील के अवसर प्रदान करते हैं।

**Source: TH**

## भारत में न्यायालय की अवमानना

### संदर्भ

- भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कथित टिप्पणियों पर हालिया विवाद ने न्यायालय की प्रतिष्ठा को कमजोर करने तथा न्याय प्रशासन में बाधा डालने की चिंताएँ उत्पन्न की हैं, जिसके चलते अवमानना कार्यवाही की मांग उठी है।

### न्यायालय की अवमानना

- **अवलोकन:** अवमानना की अवधारणा का अर्थ है न्यायालय या विधायी निकाय के अधिकार का उल्लंघन या अनादर।
  - न्यायालय की अवमानना में ऐसा व्यवहार शामिल है जो न्यायालय की गरिमा और अधिकार का विरोध, अवहेलना या कमजोर करता है, जैसे कि न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करना, न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, या ऐसा कार्य करना जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा घटे।
- **विकास:**
  - न्यायालय की अवमानना का विचार इंग्लैंड में *कॉमन लॉ* सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ, ताकि राजा की न्यायिक शक्ति की रक्षा की जा सके, जिसे प्रारंभ में स्वयं सम्राट द्वारा और बाद में उनके नाम पर न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग किया जाता था।
    - न्यायाधीश के आदेश की कोई भी अवज्ञा राजा के प्रति अपमान मानी जाती थी।
  - भारत में स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारतीय न्यायालयों और कुछ रियासतों में अवमानना संबंधी कानून उपस्थित थे।
    - स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत के संविधान ने 'न्यायालय की अवमानना' के सिद्धांत को बनाए रखा।
- **प्रकार:** भारत की संसद ने *न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971* पारित किया, जिसने वैधानिक शक्ति प्रदान की और अवमानना को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया:
  - **सिविल अवमानना (धारा 2(b)):** न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना या न्यायालय को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन।
  - **आपराधिक अवमानना (धारा 2(c)):** ऐसा प्रकाशन या कार्य जो — न्यायालय की प्रतिष्ठा को कलंकित या घटाता है; न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित या बाधित करता है; या किसी भी प्रकार से न्याय प्रशासन में बाधा डालता है।

### न्यायिक व्याख्या और प्रमुख मामले

- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को 'रिकॉर्ड की अदालतें' (अनुच्छेद 129 और 215) के रूप में नामित किया गया है, जो उन्हें अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देती हैं। प्रमुख न्यायिक व्याख्याएँ:
  - **अश्विनी कुमार घोष बनाम अरविंद बोस (1952):** इसमें स्थापित किया गया कि किसी निर्णय की निष्पक्ष आलोचना स्वीकार्य है।
  - **अनिल रतन सरकार बनाम हिरक घोष (2002):** इसमें बल दिया गया कि अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति संयम से और केवल स्पष्ट उल्लंघन के मामलों में प्रयोग की जानी चाहिए।
  - **एम.वी. जयराजन बनाम केरल उच्च न्यायालय (2015):** इसमें सार्वजनिक भाषण में न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अविरुद्ध वमानना का निर्णय बरकरार रखा गया, और पुनः पुष्टि की गई कि ऐसे कार्य आपराधिक अवमानना हो सकते हैं।
- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि अवमानना कानून का उद्देश्य न्याय प्रशासन को सुचारु बनाना है, न कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों की रक्षा करना।

### क्या अवमानना नहीं है?

- न्यायालय की कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग।

- मामले के निपटारे के बाद न्यायिक आदेश की निष्पक्ष और तर्कसंगत आलोचना (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित)।
- *न्यायालयों की अवमानना (संशोधन) अधिनियम, 2006* ने जोड़ा कि सत्य एक वैध बचाव है यदि:
  - यह जनहित में किया गया हो, और
  - यह सद्भावना (बोना फाइड) में व्यक्त किया गया हो।

### अवमानना के लिए दंड

- छह महीने तक का साधारण कारावास, या ₹2,000 तक का जुर्माना, या दोनों।
- हालाँकि, न्यायालय प्रायः दंड के बजाय माफी और सुधार को प्राथमिकता देते हैं, तथा कारावास को केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग करते हैं।

### निष्कर्ष

- अवमानना कानून न्यायिक अधिकार की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के बीच एक संवेदनशील संतुलन है।
- जैसे-जैसे भारत का लोकतंत्र परिपक्व होता है, ध्यान न्यायाधीशों के अहं की रक्षा से हटकर जवाबदेह, पारदर्शी और सम्मानित न्याय वितरण सुनिश्चित करने पर होना चाहिए — जहाँ गरिमा एवं असहमति सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में हों।

**Source:** TH

## वन अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए एक समान दंड

### समाचार में

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने *वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980* के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों को मानकीकृत करने की सिफारिश की है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ बिना पूर्व केंद्रीय स्वीकृति के वन भूमि का गैर-वन प्रयोजनों हेतु उपयोग किया गया है।

### वन अधिनियम, 1980 क्या है?

- इसे मूल रूप से *वन संरक्षण अधिनियम, 1980* के रूप में अधिनियमित किया गया था और बाद में विधायी संशोधनों के अंतर्गत इसका नाम *वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980* कर दिया गया।
- यह अधिनियम वन भूमि को गैर-वन प्रयोजनों जैसे कि बुनियादी ढाँचा, खनन या कृषि के लिए उपयोग करने को नियंत्रित करता है।
- किसी भी प्रकार के ऐसे उपयोग के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है और इसका उद्देश्य वनों की कटाई रोकना तथा पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा करना है।

### वन सलाहकार समिति (FAC) की नवीनतम सिफारिशें

- समिति ने प्रस्ताव दिया कि दंडात्मक *प्रतिपूरक वनीकरण (CA)* को समान रूप से उस क्षेत्र पर लागू किया जाए जितनी वन भूमि का उल्लंघन हुआ है, साथ ही 2023 नियमों के अंतर्गत वर्तमान दंड भी लागू रहें।
- पहले दंडात्मक CA — अनिवार्य वनीकरण से अतिरिक्त पुनर्स्थापन — असंगत रूप से लागू किया जाता था। अब FAC इसके साथ दंडात्मक *नेट प्रेज़ेंट वैल्यू (NPV)* के तर्कसंगतिकरण पर बल दे रही है, जिसे 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद और 2023 दिशा-निर्देशों में औपचारिक रूप से शामिल किया गया।
- NPV एक वित्तीय माप है जो वन भूमि के विचलन के कारण खोई हुई पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सेवाओं का परिमाण दर्शाता है।
- दंडात्मक NPV एक अतिरिक्त मौद्रिक निरुत्साहन के रूप में कार्य करता है, जिससे उल्लंघनकर्ता पर्यावरणीय हानि की भरपाई करें, जो वैध विचलनों के लिए पहले से लगाए गए अनिवार्य NPV से परे हो।

**क्या आप जानते हैं?**

- दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण उन पुनर्स्थापन प्रयासों को संदर्भित करता है जो कानूनी रूप से अनिवार्य प्रतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त आदेशित किए जाते हैं, जब वन भूमि का उपयोग गैर-वन परियोजनाओं जैसे कि उद्योगों और बुनियादी ढाँचे के लिए किया जाता है।

### यह क्यों आवश्यक था?

- विभिन्न राज्यों और एजेंसियों ने समान उल्लंघनों के लिए अलग-अलग दंड लगाए, जिससे भ्रम एवं कथित अन्याय उत्पन्न हुआ।

- एक समान ढाँचे की अनुपस्थिति ने प्रवर्तन को असमान बना दिया और निवारक प्रभाव को कमजोर कर दिया।
- यह सुनिश्चित करना कि उल्लंघनकर्ता वनीकरण और वित्तीय दंडों के माध्यम से पुनर्स्थापन में सार्थक योगदान दें।

### प्रभाव

- यह वैश्विक जलवायु और जैव विविधता मंचों में भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
- यह कानूनी सुरक्षा को सुदृढ़ करके सामुदायिक-आधारित वन प्रबंधन का समर्थन करता है।
- यह भूमि-उपयोग योजना और पर्यावरणीय प्रभाव शमन में कॉर्पोरेट जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है।

**Source: IE**

## संक्षिप्त समाचार

## नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG)

### समाचार में

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग (IA&AD) में दो नए विशेष कैडर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।

### पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, केंद्र की प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट विभिन्न राज्य-आधारित कार्यालयों द्वारा किया जाता है, जिससे कार्य का दोहराव एवं गुणवत्ता में असमानता उत्पन्न होती है।
- नई संरचना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अनुकरण करना है, जहाँ राजस्व और व्यय का ऑडिट विशेष वर्टिकल्स द्वारा किया जाता है, जिससे जवाबदेही एवं वित्तीय पारदर्शिता में वृद्धि होती है।

### नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में (अनुच्छेद 148 से 151)

- CAG एक संवैधानिक निकाय है जो संघ और राज्यों के खातों का ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि सार्वजनिक धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहरयुक्त वारंट के माध्यम से की जाती है तथा यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है।
- वेतन और कार्यालय व्यय भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से लिया जाता है, जिससे वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।
- CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, निर्धारित है।
- CAG को उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को (सिद्ध दुराचार या अक्षमता)।

### कर्तव्य और शक्तियाँ (अनुच्छेद 149 एवं CAG अधिनियम, 1971)

- केंद्र और राज्यों की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों का ऑडिट करता है।
- सरकारी कंपनियों, निगमों और उन निकायों के खातों की जाँच करता है जिन्हें सरकारी धन से पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त होता है।
- केंद्र और राज्यों की संचित निधि, आकस्मिक निधि (Contingency Fund) और सार्वजनिक खाता (Public Account) का ऑडिट करता है।
- ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति (संघ के खातों के लिए) और राज्यपालों (राज्य के खातों के लिए) को प्रस्तुत करता है, जिन्हें बाद में संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

**Source: TH**

## गिरफ्तारी का लिखित आधार गिरफ्तार व्यक्ति की समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए: सर्वोच्च न्यायालय

### समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ की भाषा में गिरफ्तारी के लिखित

आधार उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड अवैध मानी जाएगी।

### परिचय

- न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताने की उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा से होती है।
- संविधान का अनुच्छेद 22 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को सशक्त करता है, जिसमें प्रावधान है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार जल्द से जल्द बताए जाने चाहिए और बिना बताए उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों आदि पर भी पड़ता है, जिससे उनके मानसिक संतुलन और समग्र सामाजिक कल्याण पर प्रभाव होता है।

**Source: TH**

## अब्राहम समझौते

### संदर्भ

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि कज़ाख़स्तान औपचारिक रूप से अब्राहम समझौते (Abraham Accords) में शामिल हो गया है।

### अब्राहम समझौते के बारे में

- अब्राहम समझौते 2020 में इज़राइल और कई अरब देशों के बीच हस्ताक्षरित सामान्यीकरण समझौतों की श्रृंखला को संदर्भित करते हैं, जिन्हें अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत मध्यस्थता कर संपन्न कराया।
- दशकों तक अधिकांश अरब देशों ने फ़िलिस्तीन मुद्दे के समाधान तक इज़राइल को मान्यता देने से मना किया था।
- अब्राहम समझौते ने मध्य पूर्व की कूटनीति में एक बड़ा परिवर्तन किया, क्योंकि इसने इज़राइल और कुछ अरब देशों के बीच बिना इज़राइल–फ़िलिस्तीन संघर्ष के समाधान के खुले संबंध स्थापित किए।
- 2020 में UAE (संयुक्त अरब अमीरात) अब्राहम समझौते के अंतर्गत इज़राइल के साथ संबंध सामान्य करने वाला प्रथम खाड़ी देश बना।
- **शामिल देश:** इज़राइल, UAE, बहरीन, सूडान, मोरक्को और कज़ाख़स्तान।

### महत्त्व

- दशकों की शत्रुता के बाद अरब–इज़राइल संबंधों में एक बड़ी प्रगति को चिह्नित किया।
- इज़राइल के क्षेत्रीय अलगाव को कम किया और अरब दुनिया में उसकी कूटनीतिक उपस्थिति का विस्तार किया।
- मध्य पूर्व में अमेरिका के रणनीतिक प्रभाव को सुदृढ़ किया।
- क्षेत्र में नए आर्थिक और तकनीकी साझेदारी के अवसर सृजित किए।

**Source: LM**

## GPS स्पूफिंग

### समाचार में

- IGI हवाई अड्डे पर प्रथम बार GPS स्पूफिंग की घटना देखी गई है।

### विवरण

- **GPS स्पूफिंग** तब होती है जब नकली उपग्रह संकेत प्रसारित किए जाते हैं ताकि GPS रिसीवर को धोखा दिया जा सके, जिससे वे गलत स्थान, नेविगेशन और समय संबंधी डेटा की गणना करने लगते हैं।
- GPS स्पूफिंग विमानन, लॉजिस्टिक्स, दूरसंचार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों सहित महत्वपूर्ण अवसंरचना को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है।
- **GPS जैमिंग** का अर्थ है संकेतों को अवरुद्ध करना, जबकि स्पूफिंग गलत निर्देशांक भेजती है, जिससे नेविगेशन प्रणाली विमान की वास्तविक स्थिति को गलत तरीके से पढ़ने लगती है।

**Source: TOI**

## भारत द्वारा अपनी प्रथम स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का अनावरण

### समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर उपचार के लिए *NexCAR19* लॉन्च किया।

### NexCAR19

- *NexCAR19* भारत की पहली स्वदेशी CAR T-सेल थेरेपी है, जिसे *ImmunoACT* (IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से) विकसित किया गया है, और इसमें DBT तथा BIRAC का समर्थन रहा है।

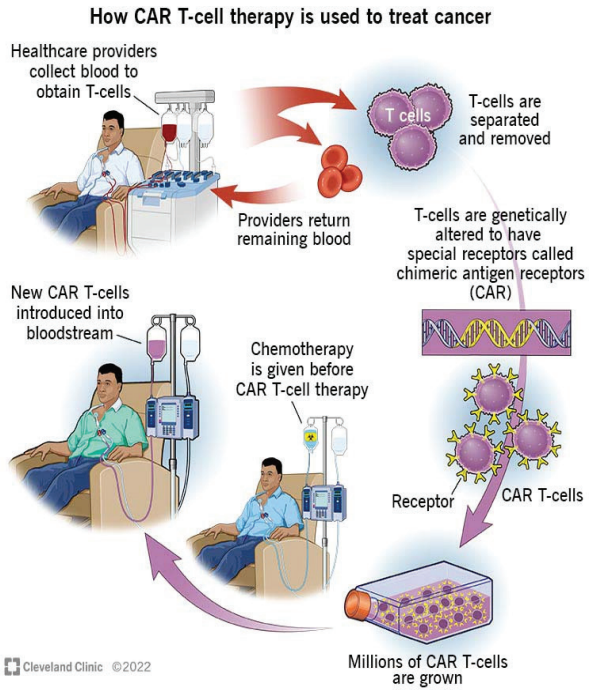


- **CAR (काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर) T-सेल थेरेपी** इस प्रकार कार्य करती है कि इसमें रोगी की T-सेल्स — जो साइटोटॉक्सिक कार्य वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार हैं — को आनुवंशिक रूप से संशोधित कर CAR T-सेल्स में बदल दिया जाता है, जो विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर नष्ट कर सकती हैं।
- *NexCAR19* को B-सेल रक्त कैंसरों, विशेषकर ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया है, विशेषकर उन रोगियों के लिए जिनका कैंसर फिर से उभर आया है या प्रथम-पंक्ति उपचारों का जवाब नहीं दिया है।

### महत्त्व

- *NexCAR19* भारत को उन्नत सेल और जीन थेरेपी नवप्रवर्तकों की वैश्विक श्रेणी में प्रवेश दिलाता है।
- यह भारत की सस्ती, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और जैव-प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

**Source: ET**

## COP30 के लिए जलवायु अद्यतन की स्थिति

### समाचार में

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की *"स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30"* रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि वर्ष 2025 दर्ज इतिहास में दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष होने की संभावना है।

### मुख्य बिंदु

- 2015 से 2025 की अवधि दर्ज इतिहास के सबसे गर्म 11 वर्षों को दर्शाती है, जिनमें विगत तीन वर्ष अब तक के सबसे अधिक गर्म रहे हैं।
- जनवरी से अगस्त के बीच औसत वैश्विक सतही तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.42°C (±0.12) अधिक रहा। यह 2024 के रिकॉर्ड आँकड़े 1.55°C (±0.13) से थोड़ा कम है, जब विश्व ने प्रथम बार पूरे वर्ष 1.5°C से ऊपर का तापमान दर्ज किया।
- रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 2023–24 में रिकॉर्ड गर्मी लाने वाली *एल नीनो* परिस्थितियाँ 2025 में तटस्थ या *ला नीना* पैटर्न में बदल गईं।
- ग्रीनहाउस गैसों — कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$), मीथेन ($CH_4$), और नाइट्रस ऑक्साइड ($N_2O$) — का वायुमंडलीय स्तर 2024 में रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया तथा 2025 में भी बढ़ता जा रहा है।

**Source: TOI**

## कं चनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को IUCN द्वारा "अच्छा" दर्जा प्रदान

### समाचार में

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने हाल ही में अपनी वैश्विक समीक्षा में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों

में *खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान* को "अच्छा" दर्जा प्रदान किया है।

### खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान

- यह भारत के उत्तरी भाग (सिक्किम राज्य) में हिमालयी पर्वतमाला के केंद्र में स्थित है।
- यह *खांगचेंदजोंगा बायोस्फीयर रिज़र्व* का भाग है।
- यह एकमात्र भारतीय उद्यान है जिसे "अच्छा" दर्जा मिला है, जबकि पश्चिमी घाट और सुंदरबन जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को गंभीर चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है।
- यह भारत का प्रथम "मिश्रित" यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे 2016 में इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के संयोजन के लिए मान्यता दी गई।
- यह निचली ऊँचाइयों पर धुंधली उपोष्णकटिबंधीय वनों से लेकर 8,586 मीटर ऊँचे *माउंट खांगचेंदजोंगा* की बर्फीली चोटी तक फैला हुआ है, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है।
- बड़ा *खांगचेंदजोंगा बायोस्फीयर रिज़र्व*, जिसे 2018 में विस्तारित किया गया, मुख्य संरक्षित क्षेत्रों को उन बफर ज़ोन से जोड़ता है जहाँ ग्रामीण सतत खेती और संसाधनों का दोहन करते हैं।
- यह लेपचा और तिब्बती बौद्ध समुदायों के लिए गहरी आध्यात्मिक महत्ता भी रखता है।

Source :Air

## भारतीय नौसेना द्वारा INS इक्षक को नौसेना में सम्मिलित

### संदर्भ

- भारतीय नौसेना ने *आईएनएस इक्षाक* (INS Ikshak) को सक्रिय सेवा में शामिल किया है। यह *सर्वे वेसल लार्ज* श्रेणी का तीसरा पोत है, जिसे कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर आयोजित एक समारोह में कमीशन किया गया।

### आईएनएस इक्षाक के बारे में

- **अर्थ:** *इक्षाक* का संस्कृत में अर्थ है "मार्गदर्शक" — जो इसके हाइड्रोग्राफिक सटीकता में भूमिका का प्रतीक है।
- **निर्माता:** गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता।
- **स्वदेशी सामग्री:** 80% से अधिक, जो भारत की *आत्मनिर्भर भारत* पहल और MSME सहयोग को दर्शाता है।
- **उद्देश्य:**
  - बंदरगाहों, हार्बर और समुद्री मार्गों के तटीय एवं गहरे जल के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना।
  - तटीय रक्षा, आपदा राहत और चिकित्सा अभियानों में सहयोग प्रदान करना।

**Source:** PIB

■■■■